नगर पंचायत मैहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2011 से 03/2013

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–378/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत मैहतपुर, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :–

प्रधान :–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री सोहन सिंह	01.04.2011 से 31.03.2013

सचिव :–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री प्रेम चन्द बत्तरा	01.04.2011 से 31.03.2013

(ख) नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं के अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2013 में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सार :–

क्रमांक	पैरा संख्या	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त सार	राशि (₹) लाख में
1.	5.1	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	280.22
2.	5.3	अनुदान की राशि रोकड़ वही में कम दर्ज करना	2.34

3.	5.5	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय	206.45
4.	6.1	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	210.51
5.	6.2	दुकानों/स्टालों के किराए की वसूली न करना	6.32
6.	6.3	चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	4.49
7.	6.4	मोबाईल टावर की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	1.27
8.	8 (ख)	संविदाकार को अधिक भुगतान	0.63
9.	8 (ग)	संविदाकार को अधिक भुगतान	0.32

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ'' पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2013 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.11.2013 से 24.12.2013 तक मैहतपुर में किया गया। आय के लिए माह 03/2012, 05/2012 तथा व्यय के लिए मास 03/2012, 01/2013 का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

Disclaimer :-

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non information on the part of auditee."

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2013 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹30,800/– आंका गया है। सचिव, नगर पंचायत मैहतपुर को अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्याः 219/2013, दिनांक 26.12.2013 द्वारा शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

(i) नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2013 तक की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट ''i'' पर संलग्न है।

(ii) बैंक समाधान विवरण :–

बैंक समाधान विवरण को परिशिष्ट ''ii'' पर दर्शाया गया है।

(iii) बैंक समाधान विवरण में सैन्टरल बैंक ऑफ इन्डिया ऊना में दिनांक 31.3.2013 को ₹2418.30 शेष दर्शाए गए है परन्तु बचत खाते की पास बुक तथा बैंक का प्रमाण पत्र आवश्यक जाँच हेतु उपलबध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5 सरकारी अनुदान :–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2013 के दौरान प्राप्त अनुदानों का शीर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	विवरण	परिशिष्ट
1	3rd & 4th SFC	(iii)
2	SJSRY	(iv)
3	Maintenance of Road and Relief Funds	(v)
4	D.C. Grant	(vi)
5	13th Finance Commission	(vii)

6	RGURF	(viii)
7	NFBS	(ix)
8	Youth services & sports	(x)
9	IDSMT	(xi)

अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹5577729.84 अपव्ययित (unspent) पड़ी थी विस्तृत विवरण परिशिष्ट (iii से xi) पर संलग्न है।

अतः इस अनुपयुक्त (unspent) राशियों का या तो सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा सम्बन्धित संस्था से इन राशियों को निर्धारित समय अवधि के बाद व्यय करने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 ₹28022355/– के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करनाः–

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा अवधि 04/2011 से 03/2013 तक निम्न वर्णित ₹28022355/– व्यय की गई सरकारी अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक भी जारी नहीं किए गए थे। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा व्यय की जा चुकी सरकारी अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किए जाने सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	विवरण	वर्ष	राशि (व्यय)
1	3rd & 4th SFC	2012–13	10629026
2	SJSRY	2012–13	213525
3	Maintenance of Road and Relief Funds	2012–13	1638851
4	D.C. Grant	2011–12	1936728
		2012–13	1095092
5	13th Finance Commission Grant	2011–12	1953129
		2012–13	2482335

6	RGURF	2011–12	3015887
		2012–13	221864
7	NFBS	2011–12	620000
		2012–13	60000
8	Youth services & sports	2011–12	745658
		2012–13	108358
9	IDSMT	2011–12	58392
		2012–13	3243510
			28022355

5.2 निर्माण कार्य “C/O Culvert on old Una Nangal Road Ward No. 6 & near sheetla Mandir” के लिए उपायुक्त ऊना से ₹850000 के अनुदान प्राप्त किए गए।

पत्र संख्या व दिनांक	**प्राप्त राशि**	**ग्रान्ट इन एड रजिस्टर के पृ0सं0 23 के अनुसार व्यय**
1129/DPRO Una/Releif दिनांक 6.5.2010	350000	
PLG (Una) 2012/13/944 दिनांक 20.9.2012	500000	380835
जोड़	**850000**	**380835**

उपरोक्त निर्माण कार्य पर वाउचर संख्या 498 माह 3/2012 के तहत ₹781625/– का व्यय किया गया है परन्तु किए गए कुल उपायुक्त ऊना से उक्त प्राप्त अनुदान राशि में से ₹380835/– ही आहरित किए गए तथा ₹400790 (781625–380835) ग्रान्ट इन एड रजिस्टर के अनसार SFC अनुदान से आहरित किए गए। अतः उपायुक्त ऊना से प्राप्त अनुदान की अपेक्षा SFC अनुदान से नियमों के विरूद्ध राशि आहरित की गई है जिस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। सरकार से प्राप्त अनुदान राशियों को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है।

5.3 ₹234111/– अनुदान की राशि रोकड़ वही में कम दर्ज करना:–

उपायुक्त ऊना द्वारा पत्र संख्या यू0डी0–एच0सी0सी0 (10)–1/2010–7350–7400 दिनाँक 5.4.2011 के द्वारा तृतीय वित्त आयोग के तहत ₹6685337/– की ग्रान्ट इन एड स्वीकृत की है। परन्तु ग्रान्ट इन एड रजिस्टर के पृष्ठ 3 तथा रोकड़ वही में केवल ₹6451226/– ही दर्ज किए गए है परिणामस्वरूप ₹234111/– कम दर्ज किए गए है। यह अनियमित है इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

5.4 आर0जी0यू0आर0एफ0 के "Funding Pattern के अनुसार, "The funds will be provided to Municipal Council/Nagar Panchyat on "First come first served basis" as 95% Government Grant of total cost of DPR and remaining 5% is to be born by Municipal out of its own resoures under R.G.U.R.F. for infrastructure and sanitation improvement in urban areas."

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा निर्माण कार्य lConstruction of parking near Rehan Basera. के लिए ₹76 लाख की ग्रान्ट इन एड आर0जी0सू0आर0एफ0 योजना में प्राप्त की है तथा इस निर्माण कार्य के लिए ₹10018197/– व्यय हो चुके है। इस निर्माण कार्य की डी0पी0आर0 ₹12072589/– थी नियमानुसार डी0पी0आर0 का 95% भाग ₹11468960/– अनुदान के रूप में प्राप्त किया। अतः अतिरिक्त व्यय की गई राशि हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए मामला नियमानुसार सरकार के साथ उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.5 स्वीकृत बजट से ₹20645593/– का अधिक व्यय करना:–

नगर पंचायत मैहतपुर का अवधि 4/2011 से 3/2013 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार था:–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2011–12	9048500	21220824	12172324
2012–13	12648500	21121769	8473269
			20645593

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत ने स्वीकृत बजट से ₹20645593 का अधिक व्यय किया है। अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं

ली गई है। अतः हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर व्यय को नियमित करवाया जाए।

6 आय :–

नगर पंचायत मैहतपुर की आय के प्रमुख स्त्रोत तथा इनसे प्राप्त आय परिशिष्ट ''xii'' पर संलग्न है।

6.1 दिनांक 31.3.2013 को गृहकर ₹21051503/– की वसूली शेषः–

परीक्षण के दौरान पाया गया कि दिनाँक 31.3.2013 को गृहकर के रूप में राशि ₹21051503/– विभिन्न कर दाताओं/गृह स्वामियों से वसूल की जानी शेष थी जिस का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (xiii) पर संलग्न है। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10 (ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना अपेंक्षित है तथा दोषी करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दोषी तथा काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करादाताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई बकाया राशि को समयवध वसूल न करने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया क्लापों पर इसका प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है जिसकी वसूली के लिए प्रभावी पग उठाएं जाएं।

6.2 दुकानों/स्टालों के किराए के रूप में दिनाँक 31.3.2013 तक ₹632983/– की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों के किराए की राशि ₹632983 जिसे परिशिष्ट (xiv) पर दर्शाया गया है दिनाँक 31.3.2013 तक वसूली हेतु शेष थी। सचिव द्वारा किराया वसूली हेतु कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे। अतः हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएँ तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

6.3 चूल्हा टैक्स ₹449080/— की वसूली न करना :—

दिनांक 31.03.2011 तक चूल्हा टैक्स की राशि ₹449080/— जिसे परिशिष्ट "XV" पर दर्शाया गया है वसूली हेतु लम्बित थी। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 में इस प्रकार के कर की वसूली का कोई भी प्रावधान नही है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर इसका नियमतिकरण करवाकर वसूली हेतु प्रभावी पग उठाए जाएँ।

6.4 दूरसंचार कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावर की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹127500/— की वसूली न करना :—

नगर पंचायत परिक्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों द्वारा लगाए गए टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹127500/— दिनांक 31.3.13 तक वसूली हेतु शेष थी। निम्नानुसार मोबाईल टावरों की स्थापना का नवीनीकरण शुल्क की वसूली करना सुनिश्चित करें।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.2013 तक बकाया राशि
1	मैसर्ज रिलायंस इन्फोकोम लिमिटेड	55000
2	मैसर्ज टाटा टैलीकॉम सर्विसिज़	2500
3	मैसर्ज भारत संचार निगम लिमिटेड	27500
4	मैसर्ज भारती इन्फ्राटैल लिमिटेड	1250
5	मैसर्ज वोडाफोन ऐसार स्पेस टेल	5000
6	मैसर्ज डिशनैट वायरलैस	36250
		₹127500

6.5 विद्युत उपभोग कर की वसूली न करने बारे :—

नगर पंचायत द्वारा एक पैसा यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वूसली की जानी थी। परन्तु नगर पंचायत ने अवधि 4/2011 से 3/2013 तक विद्युत उपयोग कर की

वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है जिसकी वसूली शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

6.6 शराब कर की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा 4/2011 से 3/2013 तक कराधान विभाग से एक रुपये प्रति बोतल की दर से शराब कर की वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा विभिन्न अवधियों में प्राप्त शराब कर किस अवधि से सम्बन्धित था का कोई भी उल्लेख कराधान विभाग से प्राप्त नहीं किया गया था। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा उक्त अवधियों के लिए शराब कर की वसूली शीघ्र करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.7 किराए पर दी गई दुकानों के अनुबन्धों का नवीनीकरण न करने बारे :–

नगर पंचायत मैहतपुर ने 25 दुकाने किराए पर दी हैं। इन दुकानों के अनुबन्ध निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

6.8 जन्म–मुत्यु पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में सम्बन्धित व्यक्तियों से निर्धारित दर पर ₹30 शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसे उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यक्ति का नाम	**प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि**	**वसूली योग्य राशि**
श्री बीरबल	5.3.2012	10
श्री उपेन्द्र	7.3.2012	10
श्री विशाल	7.3.2012	10
		30

7 स्थापना :–

बेलदार की अनियमित नियुक्ति :–

संचिव नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट (xvi) के अनुसार 4 बेलदार दैनिक भोगी नियुक्त हैं। परन्तु इन्हें रखने/नियुक्ति करने के लिए

नियमानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति नहीं ली गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण पंचायत के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

7.1 अनुबन्ध चालक की अनियमित नियुक्तिः–

नगर पंचायत मैहतपुर में एक चालक को अनुबन्ध के आधार पर रखा गया है जिसे रखने के लिए निदेशक, शहरी विकास विभाग की अनुमति प्रतिवर्ष ली जा रही है। परन्तु यह पद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः वांछित स्वीकृति अब प्राप्त करके इस विभाग को अवगत करें।

7.2 चिकित्सा भत्ते ₹6300/– का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एफ0डब्लयू–बी (ए) 2–6/2000 पार्ट–III दिनाँक 27.6.2012 द्वारा निर्धारित दर पर चिकित्सा भत्ता ₹250/– प्रतिमाह जोकि दिनाँक 1.4.2012 से देय था निर्धारित किया गया परन्तु निम्न कर्मचारियों को निर्धारित दर ₹250/– के अतिरिक्त ₹450/– प्रतिमाह की दर से ₹6300/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पद	अवधि	अधिक भुगतान
1	श्री वेद प्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता	9/2012 से 3/2013	450x7=3150
2	श्री दिनेश कुमार वर्क सुपरवाईजर	9/2012 से 3/2013	450x7=3150
			6300

7.3 ₹640/– का अधिक भुगतानः–

मास 2/2012 का वेतन जिसे वाउचर संख्या 492 से 495 मास 3/2012 द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किया गया है निम्नानुसार दैनिक भोगी मजदूरों को ₹640/– का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

	नाम	भुगतान किया गया	देय भुगतान	(अन्तर) राशि
1	श्री सुशील	3640	3480	160
2	श्री कृष्ण गोपाल	3640	3480	160
3	श्री यशपाल	3640	3480	160
4	श्री हरविन्द्र सिंह	3640	3480	160
				640

7.4 ₹138/– का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (सी) बी (7) 5/2009 दिनाँक 18.1.2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार श्री अश्विनी कुमार अनुबन्ध चालक को नियमों के विरूद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियों को ₹10 के गुणाक में round off करते हुए अवधि 1.12.2010 से 31.3.2013 तक ₹138 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

7.5 अंशदायी पैन्शन योजना खातों के रख रखाव बारेः–

नगर पंचायत में दिनाँक 15.5.2003 से नियमित हुए कर्मचारियों के वेतन से 10% अंशदान की कटौती करके उसमें 10% सहयोग राशि जमा करवाई जा रही है परन्तु इस राशि को अन्य नियमित कर्मचारियों के पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाया जा रहा है जबकि इन खातों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (पैन्शन) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (पैन) ए (3)–5/2006 दिनाँक 11.6.2010 के अनुसार किया जाना है। अतः इस बारे शहरी विकास विभाग से उचित दिशा निर्देश प्राप्त करके उक्त ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही की जाए।

7.6 श्रीमती आशा देवी (सफाई कर्मचारी) को किए गए ग्रेच्युटी ₹19607/– के भुगतान बारेः–

(i) श्रीमती आशा देवी (सफाई कर्मचारी) की सेवाएं पत्र संख्या 557–61 दिनाँक 15.11. 2008 के द्वारा नियमित की गई और उन्होंनें दिनाँक 01.01.2009 को सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य ग्रहण किया। उनकी मृत्यु दिनाँक 3.7.2012 को हुई और उसके वारिसों को

₹19607 / – मृत्यु के उपरान्त ग्रेच्युटी प्रदान की गई परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (पैन) ए (3)–1 / 2006 दिनाँक 17.11.2008 के अनुसार दिनाँक 15.5.2003 के उपरान्त नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को मात्र कर्मचारी भविष्य निधि तथा उसकी सहयोग राशि ही देय है तथा पैन्शन सम्बन्धी मामले अभी विचाराधीन है। अतः उन्हें प्रदान की गई ग्रेच्युटी का नियमितिकरण सक्षम अधकारी की स्वीकृति लेकर करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) श्रीमती आशा देवी सफाई कर्मचारी के वारिसों को ₹60299 / – की राशि पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि खाता संख्या 173865 से भुगतान किया गया परन्तु यह भुगतान नियमानुसार पैन्शन एण्ड गेच्युटी निधि से देय नहीं है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि पैन्शल एण्ड ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित किया जाए।

7.7 अंशदायी पैन्शन योजना से ₹40000 / – का अनियमित भुगतानः–

नगर पंचायत के कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10**%** की दर से अंशदान की कटौती की गई तथा उसमें 10**%** की दर से नगर पंचायत द्वारा सहयोग राशि जमा करवाई गई। इस कटौती तथा सहयोग राशि को बचत खातों में जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31.3.2013 तक निम्न कर्मचारियों के खातों में से ₹40000 / – आहरित किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (पैन्शन) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (पैन) ए(3)–5 / 2006 दिनाँक 11.6.2010 की मद संख्या 6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके द्वारा टायर–1 के अनुसार अंशदान 10**%** जोकि आवश्यक था ही जमा करवाया गया है तथा टायर–2 जोकि वैकल्पिक कटौती हेतु था उसमें उनके द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई गई थी जिसमें से उन्हें भुगतान किया जा सकता। अतः अनियमित रूप से आहरित ₹40000 / – को ब्याज सहित लेकर निधि में जमा करवाया जाए।

	कर्मचारी का नाम व पद	दिनाँक	राशि
1	श्री महिन्द्र कौंर सफाई कर्मचारी	3.5.2012	10000
2	श्री राजीव सफाई कर्मचारी	3.5.2012	10000
3	श्री ओंकार सफाई कर्मचारी	3.5.2012	10000
4	श्री वरिन्द्र कौशल लिपिक	26.12.2011	10000
			40000

8	निर्माण कार्य का नाम	C/o Parking near Rehan Basera Building in ward No. 4 N.P. Mehatpur
	संविदाकार का नाम	श्री पोहू लाल भारद्वाज
	आबंटन पत्र संख्याः	482, डी/9–9–2010
	मापन पुस्तिका संख्याः	28 पृष्ठ 1 से 33 तथा पृष्ठ 40 से 47
	बिल	प्रथम चलत बिल से चतुर्थ चलत बिल

(क) संविदाकार को ₹19252/– का अधिक भुगतान :–

निर्माण कार्य की अनुमानित लागत मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर क्षेत्र के द्वारा ₹12072589/– अनुमोदित की गई तथा श्री पोहू लाल भारद्वाज संविदाकार को पत्र संख्या एन0पी0एम0/वर्कस/10–11/482 दिनाँक 9.9.2010 के द्वारा ₹9011480/– में आंबटित किया गया। इस आंबटन आदेश में यह कार्य एच0पी0एस0आर0 2009 की दरों से 23.56% निम्न दर्शाया गया है जबकि यह कार्य 25.35% निम्न बनता था। निर्माण कार्य की अतिरिक्त मद "Filling in plinth with sand under floors including watering ramming consolidating dressing complete." निष्पादित करवाई गई तथा इस मद की दर का भुगतान निम्नानुसार किया गया।

विवरण	अनुमोदित दर	देय दर	अन्तर
HPSR2009 के अनुसार दर	580.70	580.70	
(–) 23.56% below	136.81	(–) 23.56% below 147.20	
	443.89	433.50	₹10.39

उक्त मद की कुल कार्य प्रमात्रा निम्नानुसार 1852.92 घन मीटर निष्पादित करवाई गई है तथा इस कार्य प्रमात्रा के लिए ₹10.39 घन मीटर की दर से ₹19252/— का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

मापन पुस्तिका सं0	**पृष्ठ संख्या**	**कार्य प्रमात्रा (घन मीटर)**
28	21	1577.47
28	32	275.45
		1852.92 घन मीटर

(ख) संविदाकार को ₹63465/— का अधिक भुगतान :—

मापन पुस्तिका संख्याः 28 के पृष्ठ 6 पर मद संख्या 3 "Providing tor steel reinforcement for RCC work" की रिकार्ड प्रविष्टि की जाँच करने पर पाया गया कि कॉलम B6 B7 B8 के लिए स्टील की रिकार्ड प्रविष्टि दो बार कर दी गई है। निर्माण कार्य की अनुमोदित ड्राईंग में भी इस प्रकार के निर्माण का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार संविदाकार को इन कालमों की प्रविष्टि दो बार करने के कारण 1258.73 कि0ग्रा0 स्टील की प्रमात्रा के लिए ₹50.42 प्रति किलो की दर से ₹63465/— का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

मापन पुस्तिका संख्या 28 पृष्ठ 6

Column B6 B7 B8

25mm dia	3x8x8.40	201.60 Rmt	
overlaps	3x4x1.25	15.00 Rmt	
		216.60 Rmt @3.85	833.91 कि0ग्रा0
Rinf 8mm			
Size I	4x75x1.72	516.00 Rmt	
Size II	4x75x1.42	426.00 Rmt	
		942.00 Rmt @.39	367.38 कि0ग्रा0
			1201.29 कि0ग्रा0

पुनः इसी मद को मापन पुस्तिका पृष्ठ 6 पर निम्नानुसार दर्ज किया गयाः–

Column B6 B7 B8

25mm dia	3x8x8.40	201.60 Rmt	
overlaps	3x4x1.25	15.00 Rmt	
		216.6 Rmt @3.85	833.91 कि0ग्रा0
16mm dia	3x4x8.40	100.80 Rmt	
overlaps	3x2x0.80	4.80RMT	
		105.60RMT @ 1.58	166.84 कि0ग्रा0
Rings 8mm			
Size I	3x75x1.72	387.00RMT	
Size II	3x75x1.22	274.50 RMT	
		661.50 @ .39	257.98 कि0ग्रा0
			1258.73 कि0ग्रा0

(ग) संविदाकार को ₹32436/– का अधिक/अनियमित भुगतानः–

मापन पुस्तिका संख्या 28 के पृष्ठ 10 पर निष्पादित की गई मद संख्या 10 "Providing and laying C.C, 1:2:4 in semicase partion" की चौड़ाई 10.40 अंकित की गई है जबकि अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार यह चौड़ाई 6.40 मीटर थी। इस प्रकार संविदाकार को 12.76 घन मीटर कार्य प्रमात्रा के लिए ₹2542 प्रति घन मीटर की दर से ₹32436/– का अधिक भुगतान किया गया। अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अनियमित करवाया जाए।

विवरण	**ली गई मात्रा**	**मात्रा (ड्राईंग के अनुसार**	**अन्तर**
CC 1:2:4 in semi case portion	15.95x10.40x0.20= 33.17 घन मी0	15.95x6.40x0.20= 20.41 घन मीटर	12.76 घन मीटर

(घ) निर्माण स्थल के मालिकाना हक बारेः—

जिस स्थल पर यह निर्माण कार्य करवाया गया है उसके मालिकाना हक का अभिलेख अंकेक्षण में अनावश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(ङ) निर्माण कार्य प्रमात्रा में हुई Deviation के बारे मेंः—

निर्माण कार्य की मदों में हुई Deviation की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि प्रत्येक निर्माण बिल का भुगतान करते समय पिछले बिल में निष्पादित की गई कार्य प्रमात्रा को अग्रेषित नहीं किया जा रहा है तथा नई मदों की मात्र को ही निर्माण बिल में लिया गया है। अतः प्रत्येक मदवार विवरणी तैयार की जाए तथा यदि कोई Deviation हो तो उसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी से करवाया जाए।

8.1 संविदाकार को ₹7753/— का अधिक भुगतानः—

निर्माण कार्य का नाम	Provision underground drainage system and allied street near the house of Ram Kumar towards the approaching point H/O chaju Ram in W.No. 4
संविदाकार का नाम	श्री संजीव जैन
आंबटन पत्र संख्या	618—620 दिनांक 18.11.2011
मापन पुस्तिका संख्या	26 पृष्ठ 91 से 93
बिल	प्रथम एवं अन्तिम बिल

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 92 पर मद संख्या 4 "Providing mild steel/ to steel in RCC slab in RCC slab on drain 10mm dia," की गलत गणना के कारण 126.10 कि0ग्रा0 स्टील का ₹59.40+3.5% प्रीमियम प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹7753/— का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसकी वसूली की जाए।

गणना ली गई	गणना ली जानी है	अन्तर	दर	राशि
6x85.10=510.60	510.60			
512x.60=510.60	307.20			

1021.20 RMT	817.80 RMT	203.40 RMT		
		@0.62		
		126.10 KG	59.40	7490.34
	Add Premium 3.5% on HPSR 2009			262.161
				7752.50

8.2 निर्माण कार्य का नाम — C/O Community centre/Ambedkar Bhawan near Ravi Dass Mandir W.No. 8

संविदाकार का नाम — श्री हरपाल सिंह

मापन पुस्तिका संख्या — 30

बिल — तृतीय एवं अन्तिम बिल

(i) उक्त निर्माण कार्य की अनुमानित लागत ₹2668693 है परन्तु सक्षम अधिकारी से इस कार्य को करवाने की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

(ii) श्री संजीव जैन संविदाकार को इस निर्माण कार्य का टैन्डर फार्म रसीद संख्या 10/1166 के द्वारा ₹500 में बेचा गया जबकि इसकी बिक्री ₹1000/–में की जानी थी उनके ₹500/– कम वसूले गए है। अतः ₹500/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

8.3 आर0सी0सी0 कार्य में सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक न करनाः–

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के नियम 11.6 (4) (vi) के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा 100% टैस्ट चैक, अधिशासी अभियन्ता का 10% से 15% तक टैस्ट चैक करवाया जाना अनिवार्य है परन्तु निर्माण कार्यों में नियमानुसार सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक नहीं करवाया गया जिस बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.4 संविदाकार से समझोता पत्र (Negotiatuion Letter) न लेनाः—

जाँच में पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निष्पादित मदों की दरें संविदाकारों से समझोता करने के उपरान्त कम की गई थी परन्तु संविदाकारों के समझोता (Negotiatuion) पत्र प्राप्त न किए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

9 पुस्तकालय हेतु क्रय की जाने वाली मैगजीन तथा अखबारों बारेः—

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ₹10000/— की राशि पुस्तकालय के लिए मैगजीन तथा अखबारों के क्रय पर किया गया था परन्तु रख रखाव रजिस्टर नियमानुसार नहीं लगाया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि कितने लोगों को पुस्तकालय का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹225/— का समायोजन/वसूली न करने बारेः—

श्री जसवन्त सिंह इलैक्ट्रिशियन को ₹11000/— की राशि बिजली के दो नए मीटर लगवाने के लिए अग्रिम प्रदान की गई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को निम्न रसीदों के विरूद्ध बिजली के मीटर लगाने के लिए ₹10775/— की राशि अदा की है। उनसे शेष बची ₹225 (11000—10775) की राशि न तो वापिस ली गई है और न ही उसका समायोजन किया गया है। अतः ₹225/— की वसूली/समायोजन शीध्र किया जाए।

रसीद सं0	**दिनाँक**	**राशि**
0055330	8.3.2013	8370
0055329	8.3.2013	2405
		10775

11 बिजली के सामान के भण्डार रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि काफी समय पहले से क्रय की गई मदों को तथा जिन मदों की प्रचुर मात्रा भण्डार में उपलब्ध थी उन्हें पुनः क्रय किया गया है तथा क्रय की गई मदों को अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि इन वस्तुओं को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः इस प्रकार

₹108970/– की निधि का अपव्यय किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में अवगत करवाया जाए।

भण्डार रजिस्टर पृ0सं0	मद का नाम	पहले से उपलब्ध मात्रा	दिनाँक	क्रय की गई मात्रा	कुल मात्रा	दर	राशि
32	पी0बी0सी0 वारय 6एमएम	–	5.5.11	15 नं0	15 नं0	1800	27000
37	टयूब साईड होल्डर	65 नं0	5.'5.11	50 नं0	15 न0	15	1380
39	टयूब चोक	20 नं0	5.5.11	85 नं0	105 न0	169	17745
40	एस0बी0एल0 लैम्प 70 वाट	–	28.9.10	5 नं0	5 न0	365	1825
41	एस0बी0एल0 चौक 70 वॉट	–	28.9.10	5 नं0	5 न0	425	2125
46	पी0वी0सी0 वायर 6एमएम	–	28.9.10	10 नं0	10 न0	1800	18000
47	इग्निटर	30 नं0	2.9.11	50 नं0	80 न0	210	16800
51	एम0सी0बी0 63 एमपियर	2 नं0	5.5.11	3 नं0	5 न0	39	195
63	टयूब रोड	425 नं0	2.9.11	60 नं0	485 न0	40	19400
65	स्टार्टर	100 नं0	5.5.11	275 नं0	375	12	4500
							108970

12 वाऊचर संख्या 548 दिनांक 31.3.2012 ₹72150/–

श्री हरपाल सिंह संविदाकार को जे0सी0बी0 से डम्पिंग साईट साफ करवाने हेतु 78 घण्टे के लिए 925 प्रति घण्टे की दर से ₹72150.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य करवाने के लिए औपचारिकताओं तथा विज्ञापन, निविदाओं को बुलाए/पूर्ण किए गया गया है जिसके अभाव में भुगतान की गई दरों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी यह अनियमित है इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

13 सफाई तथा स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव बारेः–

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा सफाई तथा स्ट्रीट लाईट का रख रखाव वर्ष 2004–05 से निविदा के आधार पर किया जा रहा है परन्तु जिन व्यक्तियों को यह कार्य दिया जा रहा है नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ही प्रस्ताव डालकर 10**%** से 15**%** तक वृद्धि दरो में वर्ष 2004–05 से ही की जा रही है पुनः निविदाएं आमन्त्रित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

संविदाकार का नाम	**कार्य**	**वर्ष**
श्री जसवन्त सिंह	स्ट्रीट लाईटस का रख रखाव	2004–05 से लगातार
श्री गुरू दत्त	सफाई कार्य	2004–05 से लगातार

14 लेबर सैस की वसूली बारे :–

बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्क्स (आर0ई0 एण्ड सी0एस) एक्ट 1996 एण्ड सैस एक्ट 1996 के हिमाचल प्रदेश में दिनांक 04.12.2008 से लागू होने के कारण संविदाकारों के बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी अपेक्षित थी। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के पश्चात करवाए गए निर्माण कार्यों से कोई भी लेबर सैस की वसूली नहीं की जा रही है तथा न ही संविदाकारों से किए गए अनुबन्ध तथा आबंटन आदेश पत्र में लेबर सैस की वसूली बारे शर्त लगाई जा रही हैं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली सुनिश्चित करें।

15 सचिव द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग :–

शहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के पैरा 11.6(4)(i) के अनुसार "All tenders upto Rupees Five lakh shall be opened by the Municipal Engineer at the time and place specified in the notice issued under the provisions of rule 11-6(2), in presence of the Executive officer/Secretary of the Municipality. After that the M.E shall submit to the Administrator/President or other officer or sub committee authorized by the Corporation/Municipality in this behalf all the valid tenders

received by the date, together with his recommendations as to which tender should be accepted, and the Administrator/President, Other Officer or Chairman of the sub-committee shall sign the tender or tenders which he or she considers should be accepted in taken of such acceptance, which will be finally approved by Director. The work will be awarded by Municipal Engineer/Executive Engineer".

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सचिव द्वारा अपने स्तर पर ही संविदाकारों को निर्माण कार्य का आबंटन किया जा रहा है जिसके लिए वह उक्त नियम के अर्न्तगत सक्षम नहीं है। अतः इस बारे इस विभाग को अगवत करें तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

16 निर्माण कार्यों के विज्ञापन अखबारों में न देने बारेः–

हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटस मैनुअल के नियम 11.6 (2) के अनुसार जिन कार्यों की अनुमानित लागत ₹5 लाख से ज्यादा हो उनका विज्ञापन दो अखबारों हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबार में दिया जाना है। परन्तु नगर पंचायत मैहतपुर ने अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹5 लाख अनुमानित लागत से अधिक जितने भी निर्माण कार्य करवाए गए है उनका विज्ञापन अखबारों में नहीं दिया गया है। यह अनियमित है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए भविष्य में आवश्यक विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा क्रय की गई बिजली के मदों को श्री जसवन्त सिंह इलैक्ट्रिशियन जिनकी सेवाएं निविदा के आधार पर स्ट्रीट लाईट के रख रखाव हेतु ली गई है द्वारा ही जारी की जा रही है परन्तु इन मदों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है उसका कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है। अतः इस प्रकार लाखों ₹ के बिजली के सामान के उपयोग बारे अभिलेख तैयार न करना नियमों के विरूद्ध है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 122 के अनुसार ₹3000/– से ₹1 लाख तक क्रय की जा रही मदों के बारे में क्रय समिति द्वारा नियमानुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए

जा रहे है। अतः वांन्छित प्रमाण पत्र क्रय समिति से प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

19 नगर पंचायज मैहतपुर द्वारा निम्नानुसार अभिलेख का रख रखाव न करने के कारण प्राप्त आय की जाँच नहीं की जा सकी। अतः यह अभिलेख अविलम्ब तैयार किया जाए व आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किया जाए।

(i) Register of Teh Bazari

(ii) Ternder form sale Register

(iii) Architect Registeration

(iv) Liquor & Electricity cess Register

20 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

21 **निष्कर्ष :—** लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78—खण्ड—2—2249—50 दिनांक,21.04.2014 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

(1) निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—02

<u>पंजिकृत</u> :— (2) सचिव, नगर पंचायत मैहतपुर ऊना को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन के जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009

<u>परिशिष्ट–''अ''</u>

<u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची</u> :–

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/80 से 03/81

1	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/83

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 16(सी)	अनिर्णीत

3 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/91

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत

11	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
15	पैरा 11	अनिर्णीत
16	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 13	अनिर्णीत
19	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
20	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 16	अनिर्णीत

4 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/94

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 17(iii)	अनिर्णीत

5 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 03/2003

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत

9	पैरा 16	अनिर्णीत	
10	पैरा 17	अनिर्णीत	
11	पैरा 18	अनिर्णीत	
12	पैरा 19	अनिर्णीत	
13	पैरा 20	अनिर्णीत	
14	पैरा 21	अनिर्णीत	
15	पैरा 22	अनिर्णीत	
16	पैरा 25	अनिर्णीत	
17	पैरा 28	अनिर्णीत	
18	पैरा 31	अनिर्णीत	
19	पैरा 33	अनिर्णीत	
20	पैरा 34	अनिर्णीत	
21	पैरा 35	अनिर्णीत	
22	पैरा 36	अनिर्णीत	
23	पैरा 37	निर्णीत	(रसीद संख्या 1215/21 दिनांक 13.9.2013 द्वारा ₹1953 जमा करने बारे पुष्टि कर ली गई है)
24	पैरा 40	अनिर्णीत	
25	पैरा 44	अनिर्णीत	
26	पैरा 45	अनिर्णीत	
27	पैरा 46	अनिर्णीत	
28	पैरा 48	अनिर्णीत	
29	पैरा 49	अनिर्णीत	
30	पैरा 50	अनिर्णीत	
31	पैरा 51	अनिर्णीत	
32	पैरा 52	अनिर्णीत	
33	पैरा 53	अनिर्णीत	
34	पैरा 54	अनिर्णीत	
35	पैरा 56	अनिर्णीत	
36	पैरा 57(i)	अनिर्णीत	

37	पैरा 57(ii)	अनिर्णीत	
38	पैरा 58	अनिर्णीत	
39	पैरा 61	अनिर्णीत	
40	पैरा 64	अनिर्णीत	
41	पैरा 65	अनिर्णीत	
42	पैरा 65(i)	अनिर्णीत	
43	पैरा 66	अनिर्णीत	
44	पैरा 68	अनिर्णीत	
45	पैरा 69	अनिर्णीत	
46	पैरा 70	अनिर्णीत	
47	पैरा 74	अनिर्णीत	
48	पैरा 76	अनिर्णीत	
49	पैरा 77	अनिर्णीत	
50	पैरा 78	अनिर्णीत	
51	पैरा 79	अनिर्णीत	
52	पैरा 81	अनिर्णीत	
53	पैरा 82	अनिर्णीत	
54	पैरा 83	अनिर्णीत	
55	पैरा 84	अनिर्णीत	
56	पैरा 85	अनिर्णीत	
57	पैरा 86	अनिर्णीत	
58	पैरा 87	अनिर्णीत	
59	पैरा 88	अनिर्णीत	
60	पैरा 89	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत मैहतपुर के सटिप्पण उत्तर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार श्री चनन सिंह चपडासी को निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यूएसबी–एच(ए) (1)36/94 दिनाँक 12/98 के अनुसार दिनाँक 1.7.1988 से दैनिक भोगी मानते हुए नियमित किया गया है

			निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0–एच(ए)(4)–23/86–1 दिनाँक 13.9.2000 तथा समसंख्यक पत्र संख्या UD-H (A) (4)-23/86-1 दिनांक 20.9.2000 द्वारा दिनांक 01.01.94 से दैनिक भोगी मजदूरी की बढ़ी हुई दरो पर भुगतान हेतु निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों के मद्देनजर तैयार की गई गणना शीट के अनुसार श्री चनन सिंह चपड़ासी को ₹57548/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली बारे पुष्टि निम्नानुसार की गई है। (i) 3/2006 से 1/94 तक ₹500 की दर से वसूली=47500 (ii) रसीद संख्या 1231/27 दिनांक 17.1.2014 से वसूली=10048 57548
61	पैरा 93	अनिर्णीत	
62	पैरा 95	अनिर्णीत	
63	पैरा 97	अनिर्णीत	
64	पैरा 100	अनिर्णीत	
65	पैरा 101	अनिर्णीत	
66	पैरा 102	अनिर्णीत	

6 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/03 से 03/07

1	पैरा 3(ए)	अंशतः निर्णीत	(निम्न ग्रान्ट इन एड के अतिरिक्त अन्य के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई है)

क्रम संख्या	राशि
3	1,48,875
6	40,77,417

2	पैरा 4(ए)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6(एफ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6(के)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(एल)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6(एम)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6(आर)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(एस)	अनिर्णीत	
	पैरा 6(यू)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(वी)	अनिर्णीत	
15	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत	
16	पैरा 7(सी)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत	
18	पैरा 7(एफ)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7(जी)	अंशतः निर्णीत	(क्रम संख्या 2 पर दर्शाए गए निर्माण कार्य की वसूली ₹850/– की पुष्टि श्री पवन कुमार संविदाकार को धरोहर राशि के भुगतान वाउचर संख्या 130 दिनांक 24.6.2011 के द्वारा की गई)

7 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/11

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 902534 दिनांक 24.3.2012 द्वारा भिजवा दी गई है)
2	पैरा 4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 के पैरा संख्या में दर्शा दी गई है)

3	पैरा 4 (i)	निर्णीत	(त्रुटियों का लेखांकन करने बारे पुष्टि कर ली गई है)
4	पैरा 4 (iii)	निर्णीत	(₹6016/– जमा करने बारे पुष्टि कर ली गई है)
5	पैरा 5	निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 के पैरा संख्या में प्राप्त अनुदानों के बारे में दर्शा दिया गया है)
6	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
7	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 के पैरा संख्या में नवीनतम स्थिति दर्शा दी गई है)
8	पैरा 6.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 में दर्शा दी गई है)
9	पैरा 6.2	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 में दर्शा दी गई है)
10	पैरा 6.2.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 में दर्शा दी गई है)
11	पैरा 6.2.2	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 में दर्शा दी गई है)
12	पैरा 6.2.3	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 में दर्शा दी गई है)
13	पैरा 6.2.4	निर्णीत	((i) मैसर्ज रिलायन्स इन्फोकोम लिमिटेड की राशि ₹1250/– दिनाँक 31.3.2013 तक बकाया राशि में शमिल की गई है) (ii) मैसर्ज भारती सैलवन लिमिटेड से रसीद संख्या 1175/7 दिनांक 18.8.2012 द्वारा ₹1250 की वसूली कर ली गई है) (iii) मैसर्ज टाटा टैलीसर्विस से रसीद संख्या 1148/20 दिनाँक 16.7.2011 द्वारा ₹1250 की वसूली कर ली गई है)
14	पैरा 6.2.5	निर्णीत	(₹10000/–की राशि दिनाँक 31.3.2013 तक की बकाया राशि में शामिल कर ली गई है)

15	पैरा 6.3	अनिर्णीत	
16	पैरा 6.3.1	निर्णीत	(वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के शराब कर की राशि ₹473019/– की वसूली रसीद संख्या 1169/36 दिनाँक 3.5.2012 द्वारा कर ली गई है)
17	पैरा 6.4	अनिर्णीत	
18	पैरा 6.5	अनिर्णीत	
19	पैरा 6.5.1	अनिर्णीत	
20	पैरा 7	अनिर्णीत	
21	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
22	पैरा 7.2	अनिर्णीत	
23	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
24	पैरा 7.4	अनिर्णीत	
25	पैरा 7.5	निर्णीत	(₹35500/– की वसूली बारे पुष्टि कर ली गई है)
26	पैरा 7.6	अनिर्णीत	
27	पैरा 7.7	अनिर्णीत	
28	पैरा 7.8	निर्णीत	(₹220 की वसूली रसीद संख्या 1230/006 दिनाँक 24.12.2013 द्वारा कर ली गई है)
29	पैरा 7.9	निर्णीत	(वाँन्छित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
30	पैरा 8	अनिर्णीत	
31	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
32	पैरा 8.3	अनिर्णीत	
33	पैरा 8.4	अनिर्णीत	
34	पैरा 8.5	अनिर्णीत	
35	पैरा 8.6	अनिर्णीत	
36	पैरा 8.7	अनिर्णीत	
37	पैरा 8.8	अनिर्णीत	
38	पैरा 8.9	अनिर्णीत	
39	पैरा 8.10	अनिर्णीत	
40	पैरा 8.10.1	अनिर्णीत	

41	पैरा 8.10.2	अनिर्णीत
42	पैरा 8.11	अनिर्णीत
43	पैरा 8.11.1	अनिर्णीत
44	पैरा 8.11.2	अनिर्णीत
45	पैरा 8.11.3	अनिर्णीत
46	पैरा 9	अनिर्णीत
47	पैरा 9.1	अनिर्णीत
48	पैरा 9.2	अनिर्णीत
49	पैरा 9.3	अनिर्णीत
50	पैरा 10	अनिर्णीत
51	पैरा 11	अनिर्णीत
52	पैरा 12	अनिर्णीत
53	पैरा 13	अनिर्णीत
54	पैरा 14	अनिर्णीत
55	पैरा 14.1	अनिर्णीत
56	पैरा 14.2	अनिर्णीत
57	पैरा 14.3	अनिर्णीत